जिला पंचायत-मुरादाबाद।

वर्तमान उपनियम		संशोधित उपनियम	
4	समितियों का लाईसेंस देने की प्रक्रिया तथा लाईसेंस शुल्क शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।	4	मृतक पशुओं के शव निस्तारण हेतु लाईसेंस/ठेका इस कार्य में लगी हुई उस क्षेत्र की खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंजीकृत औद्योगिक सहकारी समितियों को ही दिया जायेगा। लाईसेंस गत तीन वर्षो की औसत वार्षिक आय अथवा गत वर्ष की आय में से जो भी अधिक हो पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की रायल्टी पर दिया जायेगा। रायल्टी की सम्पूर्ण धनराशि का 1/2 अर्थात् आधा भाग एक मुश्त जमा करनी होगी। शेष धनराशि ठेका/लाईसेंस की अवधि प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह के अन्तर्गत तीन किस्तों में जमा करना होगा। समितियों को इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासन एवं कार्यालय के आदेशों का पालन करना होगा।
5	इन उपविधियों के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत मुरादाबाद लाईसेंस अधिकारी होंगे।	5	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मुरादाबाद या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इन उपनियमों के अन्तर्गत लाईसेंस अधिकारी होंगे।
6	लाईसेंस प्रत्येक वर्ष के लिये 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिये जारी किया जायेगा।	6	ठेका/लाईसेंस स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत मुरादाबाद को होगा परन्तु पैतृक रूप से इस व्यवसाय में लगें व्यक्तियों के मध्य नीलामी की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जायेगी। ठेका/लाईसेंस प्रत्येक वर्ष के लिये 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिये जारी किया जायेगा।

सं० 119/23-22(2011-12)न०पा०सहा०प्रथम--उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित, 1994) की धारा 239(2) के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली फैक्ट्रियों आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बंधी उपविधियां जो विज्ञप्ति सं० 321/23-26(90-91) द्वारा स्वीकृत होकर उ०प्र० गजट दिनांक 19 अक्टूबर, 1991 में प्रकाशित होकर प्रभावी हुई एवं जो विज्ञप्ति सं० 62/23-26(90-91)एम०ए०-2, दिनांक 12 अक्टूबर, 2000 द्वारा संशोधित होकर उ० प्र० गजट, 02 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित हुई तथा अन्तिम संशोधन विज्ञप्ति संख्या 69/23-4(2001-2002) एम०ए०-2, दिनांक 20 अक्टूबर, 2001, जिसका प्रकाशन उ०प्र० गजट 17 नवम्बर, 2001 में हुआ है पुनः संशोधन किया गया है जिसकी पुष्टि आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा कर दी गयी है। एतदर्थ अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रकाशित किये जा रहें है। जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे :

उपविधियां

उपनियम-7--इन उपविधियों के अन्तर्गत सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भाग के लिये प्रति वर्ष निम्नानुसार लाईसेंस शुल्क जमा करना होगा। लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी। यदि 30 सितम्बर तक नवीनीकरण हेतु शुल्क जमा नहीं किया तो 01 अक्टूबर से नवीनीकरण पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेकर ही नवीनीकरण किया जायेगा।

उपनियम-7--इन उपविधियों के अन्तर्गत सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भाग के लिये प्रति वर्ष निम्नानुसार लाईसेंस शुल्क जमा करना होगा। लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी। यदि 30 सितम्बर तक नवीनीकरण हेतु शुल्क जमा नहीं किया तो 01 अक्टूबर से नवीनीकरण पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेकर ही नवीनीकरण किया जायेगा।

पूर्व स्वीकृत उपनियम

क्र०सं०	मद	प्रतिवर्ष
1	2	3
		रु०
1	चीनी मिल	50,000,00
2	क्रेशर हाइड्रोलिक सल्फीटेशन	2,000,00

संशोधित उपनियम

क्र०सं०	मद	प्रतिवर्ष
1	2	3
		रु०
1	चीनी मिल	70,000.00
2	क्रेशर हाइड्रोलिक सल्फीटेशन	[illegible]

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत [illegible]

1	2	3
		रु०
3	क्रेशर नान हाइड्रोलिक सल्फीटेशन	1,500.00
4	क्रेशर नान हाइड्रोलिक नान सल्फीटेशन	1,000.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	200.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापण (खाण्ड मशीन)	200.00
7	हस्तचालित केन्द्रापण या उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर या क्रिस्टेलाईजर	100.00
8	आटा चक्की	100.00
9	धान कूटने की मशीन (राईस, सेलर)	200.00
10	(अ) धान कूटने की मिल (राईस सेलर) लघु (ब) धान कूटने की मिल (राईस सेलर) वृहद	2,000.00 5,000.00
11	(अ) तेल निकालने का कोल्हू (ब) एक्सपेलर	100.00 250.00
12	रुई अथवा ऊन धुनने की मशीन	100.00
13	लकड़ी चीरने की मशीन (आरा मशीन)	500.00
14	खराद मशीन	600.00
15	बरमा मशीन	100.00
16	वेल्डिंग मशीन	100.00
17.	शेपर मशीन	100.00
18	हवा मशीन	निरस्त
19	रसायन मशीन	100.00
20	कपड़ा बनाने की खड्डी (प्रत्येक)	100.00
21	सरिया बनाने का कारखाना	10,000.00
22	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
23	बर्फ तथा आईसक्रीम का कारखाना	1,000.00
24	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (कुटीर उद्योग)	1,000.00
25	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (10 टन से ऊपर 20 टन क्षमता तक)	निरस्त
26	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (लघु उद्योग)	15,000.00
27	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (वृहद् उद्योग)	5,000.00
28	(अ) दूध का पाउडर अथवा दूध अन्य सामान बनाने का कारखाना (लघु) (ब) दूध का पाउडर अथवा दूध अन्य सामान बनाने का कारखाना (वृहद)	5,000.00 25,000.00
29	स्टील,आयरन आदि के पाईप बनाने का कारखाना	20,000.00
30	मशीन के पुर्जे,कीलें,कांटे,नट, बोल्ट आदि का कारखाना	2,000.00
31	फल सब्जियां, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने का कारखाना कोल्ड स्टोरेज	5,000.00
32	पत्थर तथा ईंट रोड़ी या सुर्खी बनाने का कारखाना	2,000.00
33	रबड़ की वस्तु बनाने का कारखाना	1,000.00

1	2	3
		रु०
3	क्रेशर नान हाइड्रोलिक सल्फीटेशन	3,000.00
4	क्रेशर नान हाइड्रोलिक नान सल्फीटेशन	3,000.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	300.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापण (खाण्ड मशीन)	400.00
7	हस्तचालित केन्द्रापण या उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर या क्रिस्टेलाईजर	200.00
8	आटा चक्की	मुक्त
9	धान कूटने की मशीन (राईस, सेलर)	निरस्त
10	(अ) धान कूटने की मिल (राईस सेलर) लघु (ब) धान कूटने की मिल (राईस सेलर) वृहद	2,500.00 6,000.00
11	(अ) तेल निकालने का कोल्हू (ब) एक्सपेलर	150.00 300.00
12	रुई अथवा ऊन धुनने की मशीन	मुक्त
13	लकड़ी चीरने की मशीन (आरा मशीन)	2,500.00
14	खराद मशीन	700.00
15	बरमा मशीन	150.00
16	वेल्डिंग मशीन	200.00
17	शेपर मशीन	200.00
18	हवा मशीन	निरस्त
19	रसायन मशीन	मुक्त
20	कपड़ा बनाने की खड्डी (प्रत्येक)	200.00
21	सरिया बनाने का कारखाना	20,000.00
22	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	6,000.00
23	बर्फ तथा आईसक्रीम का कारखाना	1,500.00
24	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (कुटीर उद्योग)	1,500.00
25	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (10 टन से ऊपर 20 टन क्षमता तक)	निरस्त
26	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (लघु उद्योग)	20,000.00
27	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (वृहद् उद्योग)	60,000.00
28	(अ) दूध का पाउडर अथवा दूध अन्य सामान बनाने का कारखाना (लघु) (ब) दूध का पाउडर अथवा दूध अन्य सामान बनाने का कारखाना (वृहद)	10,000.00 30,000.00
29	स्टील,आयरन आदि के पाईप बनाने का कारखाना	25,000.00
30.	मशीन के पुर्जे,कीलें,कांटे,नट, बोल्ट आदि का कारखाना	5,000.00
31	फल सब्जियां, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने का कारखाना कोल्ड स्टोरेज	10,000.00
32	पत्थर तथा ईंट रोड़ी या सुर्खी बनाने का कारखाना	3,000.00
33	रबड़ की वस्तु बनाने का कारखाना	2,000.00

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
34	चीनी के बर्तन बनाने का कारखाना	1,000.00	34	चीनी के बर्तन बनाने का कारखाना	2,000.00
35	पीतल, एल्मोनियम, स्टील, शीशे, तांबे, टीन आदि की वस्तुए बनाने का कारखाना	1,000.00	35	पीतल, एल्मोनियम, स्टील, शीशे, तांबे, टीन आदि की वस्तुए बनाने का कारखाना	10,000.00
36	वनस्पति घी बनाने का कारखाना	25,000.00	36	वनस्पति घी बनाने का कारखाना	30,000.00
37	शराब, स्प्रिट, एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00	37	शराब, स्प्रिट, एल्कोहल बनाने का कारखाना	60,000.00
38	कृषि सम्बंधी यंत्र बनाने का कारखाना	1,000.00	38	कृषि सम्बंधी यंत्र बनाने का कारखाना	2,500.00
39	फर्टिलाईजर या कीटनाशक बनाने का कारखाना	5,000.00	39	फर्टिलाईजर या कीटनाशक बनाने का कारखाना	7,500.00
40	खाण्डसारी उद्योग के पम्प बनाने का कारखाना	2,000.00	40	खाण्डसारी उद्योग के पम्प बनाने का कारखाना	2,500.00
41	प्लास्टिक दाना या फिल्म बनाने का कारखाना	1,000.00	41	प्लास्टिक दाना या फिल्म बनाने का कारखाना	2,000.00
42	प्लास्टिक के पाईप बनाने का कारखाना	2,000.00	42	प्लास्टिक के पाईप बनाने का कारखाना	4,000.00
43	कोयले की राख से बाई प्रोडक्ट टिकली बनाने का कारखाना	1,000.00	43	कोयले की राख से बाई प्रोडक्ट टिकली बनाने का कारखाना	1,500.00
44	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	1,000.00	44	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	2,000.00
45	(अ) कपड़ा, कम्बल आदि का उत्पादन एवं रंगाई फिनिशिंग का कारखाना (लघु)	5,000.00	45	(अ) कपड़ा, कम्बल आदि का उत्पादन एवं रंगाई फिनिशिंग का कारखाना (लघु)	10,000.00
	(ब) कपड़ा, कम्बल आदि का उत्पादन एवं रंगाई फिनिशिंग का कारखाना (वृहद)	20,000.00		(ब) कपड़ा, कम्बल आदि का उत्पादन एवं रंगाई फिनिशिंग का कारखाना (वृहद)	30,000.00
46	गंधक, फिटकरी या कलशी शीरा बनाने का कारखाना	1,000.00	46	गंधक, फिटकरी या कलशी शीरा बनाने का कारखाना	2,000.00
47	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	5,000.00	47	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00
48	दाल मिल	2,000.00	48	दाल मिल	5,000.00
49	फ्लोर मिल	2,000.00	49	फ्लोर मिल	5,000.00
50	री रिइन्फोसर्ड सीमेन्ट, कंकरीट या पाईप बनाने का कारखाना	2,000.00	50	री रिइन्फोसर्ड सीमेन्ट, कंकरीट या पाईप बनाने का कारखाना	5,000.00
51	टेलीविजन बनाने का कारखाना	2,500.00	51	टेलीविजन बनाने का कारखाना	5,000.00
52	माचिस बनाने का कारखाना	1,200.00	52	माचिस बनाने का कारखाना	2,000.00
53	बटन बनाने का कारखाना	500.00	53	बटन बनाने का कारखाना	1,000.00
54	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	300.00	54	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	500.00
55	प्लाई वुड या माईका बनाने का कारखाना	10,000.00	55	प्लाई वुड या माईका बनाने का कारखाना	15,000.00
56	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	5,000.00	56	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	6,000.00
57	दवाई बनाने का कारखाना	2,000.00	57	दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
58	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना	5,000.00	58	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना	निरस्त
59	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	1,000.00	59	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	2,000.00
60	केमिकल्स बनाने का कारखाना	5,000.00	60	केमिकल्स बनाने का कारखाना	6,000.00
61	डबल रोटी, बिस्कुट का कारखाना	1,000.00	61	डबल रोटी, बिस्कुट का कारखाना	5,000.00
62	गैस बनाने का कारखाना	1,000.00	62	गैस बनाने का कारखाना	5,000.00
63	गैस सिलेन्डर बनाने का कारखाना	2,000.00	63	गैस सिलेन्डर बनाने का कारखाना	5,000.00
64	वेल्डिंग रांड बनाने का कारखाना	1,000.00	64	वेल्डिंग रांड बनाने का कारखाना	2,000.00
65	ढलाई का कारखाना कोयले द्वारा	1,000.00	65	ढलाई का कारखाना कोयले द्वारा	1,500.00
66	स्टील, आलमारी एवं फर्नीचर बनाने का कारखाना	1,500.00	66	स्टील, आलमारी एवं फर्नीचर बनाने का कारखाना	5,000.00
67	पशु आहार बनाने का कारखाना	1,500.00	67	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

12

सं0 119/23-22(2011-12)न0पा0सहा0प्रथम--उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961(यथा संशोधित 1994) की धारा 239(2) के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की दुकानों को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बंधी उपविधि जो विज्ञप्ति सं0 501/23-22(95-96), दिनांक 24 अगस्त, 1996 द्वारा स्वीकृत होकर उ0प्र0 गजट दिनांक 23 नवम्बर, 1996 में प्रकाशित होकर प्रभावी हुई एवं जिनमें अंतिम संशोधन विज्ञप्ति सं0 08/23-3(2001-2002)एम0ए0-2, दिनांक 02 अक्टूबर, 2001, जिसका प्रकाशन उ0प्र0 गजट 17 नवम्बर, 2001 में हुआ है में पुनः संशोधन किया गया है जिसकी पुष्टि आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा कर दी गयी है। एतदर्थ अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रकाशित किये जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे :

उपविधियां

पूर्व उपनियम			संशोधित उपनियम		
क्र0सं0	मद	प्रतिवर्ष	क्र0सं0	मद	प्रतिवर्ष
1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
	उपनियम-17--लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर प्रत्येक वर्ष 31 मई तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद निम्न विवरण के अनुसार दण्ड शुल्क देय होगा।			उपनियम-17--लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी तथा 30 जून तक लाईसेंस का नवीनीकरण न कराने पर 01 जुलाई से 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेकर नवीनीकरण किया जायेगा।	
	25.00 रु0 तक के लाइसेंस पर	5.00			
	26.00 रु0 से 50.00 रु0 तक के लाईसेंस पर	10.00			
	51.00 रु0 से 100.00 रु0 तक के लाईसेंस पर	15.00			
	101.00 रु0 से ऊपर के लाईसेंस पर	20.00			
	उपनियम-18--वर्तमान उपनियम सं0 18			उपनियम-18--विभिन्न व्यवसायों पर निम्नलिखित दर से लाईसेंस शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा।	
1	कपड़ों की बड़ी दुकान थोक	200.00	1	कपड़ों की बड़ी दुकान थोक	250.00
2	फुटकर (कपड़ों की दुकान)	100.00	2	फुटकर (कपड़ों की दुकान)	150.00
3	किराना की बड़ी दुकान	200.00	3	किराना की बड़ी दुकान	250.00
4	किराना की छोटी दुकान जिसमें 5000 रु0 तक का सामान हो	100.00	4	किराना की छोटी दुकान जिसमें 5000 रु0 तक का सामान हो	150.00
5	गल्ले की बड़ी दुकान आढ़त	500.00	5	गल्ले की बड़ी दुकान आढ़त	700.00
6	गल्ले की फुटकर दुकान	100.00	6	गल्ले की फुटकर दुकान	150.00
7	आभूषण बेचने वाले की दुकान	200.00	7	आभूषण बेचने वाले की दुकान	250.00
8	सुनार जो गढ़ाई का कार्य करता हो	मुक्त	8	सुनार जो गढ़ाई का कार्य करता हो	मुक्त
9	मेडिकल स्टोर	200.00	9	मेडिकल स्टोर	300.00
10	मिठाई, चाय, नमकीन की सम्मिलित दुकान	200.00	10	मिठाई, चाय, नमकीन की सम्मिलित दुकान	250.00
11	केवल मिठाई की दुकान	100.00	11	केवल मिठाई की दुकान	150.00
12	चाय की दुकान	मुक्त	12	चाय की दुकान	मुक्त
13	होटल हाइवे	500.00	13	होटल हाइवे	1000.00

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
68	बोगी बनाने का कारखाना	1,500.00	68	बोगी बनाने का कारखाना	2,000.00
69	चमड़े का सामान बनाने का कारखाना	2,000.00	69	चमड़े का सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
70	दरी कालीन आदि बनाने का कारखाना	2,500.00	70	दरी कालीन आदि बनाने का कारखाना	3,000.00
71	चिनिंग प्लांट	2,000.00	71	चिनिंग प्लांट	10,000.00
72	साबुन आदि बनाने का कारखाना	1,000.00	72	साबुन आदि बनाने का कारखाना	1,500.00
73	पट्टा बनाने का कारखाना	1,000.00	73	पट्टा बनाने का कारखाना	2,000.00
74	सर्वे व ड्राइंग का सामान बनाने का कारखाना	750.00	74	सर्वे व ड्राइंग का सामान बनाने का कारखाना	1,000.00
75	टीन का सामान बनाने का कारखाना	500.00	75	टीन का सामान बनाने का कारखाना	2,000.00
76	रबड़ टायर, ट्यूब बनाने का कारखाना	4,000.00	76	रबड़ टायर, ट्यूब बनाने का कारखाना	10,000.00
77	कांच का सामान बनाने का कारखाना	500.00	77	कांच का सामान बनाने का कारखाना	2,000.00
78	हड्डी मिल	10,000.00	78	हड्डी मिल	15,000.00
79	(अ) पेट्रोल पम्प	2,000.00	79	(अ) पेट्रोल पम्प	3,000.00
	(ब) डीजल पम्प	2,000.00		(ब) डीजल पम्प	3,000.00
	(स) पेट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प	3,000.00		(स) पेट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प	5,000.00
80	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना कुटीर उद्योग	500.00	80	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना कुटीर उद्योग	2,000.00
81	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना लघु उद्योग	2,000.00	81	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना लघु उद्योग	3,000.00
82	(अ) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कारखाना (वृहद् उद्योग) किसी प्रकार का आयात.निर्यात का लघु उद्योग एवं उच्च कोटि का धागा बनाने का कारखाना (लघु उद्योग)।	25,000.00	82	(अ) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कारखाना (वृहद् उद्योग) किसी प्रकार का आयात.निर्यात का लघु उद्योग एवं उच्च कोटि का धागा बनाने का कारखाना (लघु उद्योग)।	30,000.00
	(ब) किसी प्रकार का आयात.निर्यात की वस्तु बनाने का वृहद् उद्योग एवं उच्च कोटि का धागा बनाने का कारखाना (वृहद् उद्योग)।	50,000.00		(ब) किसी प्रकार का आयात.निर्यात की वस्तु बनाने का वृहद् उद्योग एवं उच्च कोटि का धागा बनाने का कारखाना (वृहद् उद्योग)।	60,000.00
83	मैथा टंकी (प्रति)	200.00	83	मैथा टंकी (व्यवसायिक)	500.00

नई मदें जो जोड़ी गई

	--		84	फ्रोजन फूड यूनिट	30,000.00
	--		85	मीट फैक्ट्री	30,000.00
	--		86	टाईल्स फैक्टी (सीमेन्ट इन्टर लॉकिंग टाईल्स बनाने की फैक्टी)	5,000.00
	--		87	स्टोन क्रेशर	10,000.00
	--		88	रीड प्लान्ट	5,000.00

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

1	2	3
		रु०
		मुफ्त
14	पान की दुकान	100.00
15	पुस्तक व स्टेशनरी	500.00
16	दुकान बिल्डिंग मेटेरियल, सरिया सहित	200.00
17	सीमेन्ट की दुकान	मुफ्त
18	कृषि यन्त्रों की मरम्मत दुकान	मुफ्त
19	कारीगरों के साधारण कृषि औजार की दुकान	500.00
20	मशीनरी की दुकान जिसमें ट्रैक्टर पार्ट्स, पम्पसेट, चारा मशीन, धान मशीन, स्पेलर, हैण्डपम्प पाइप आदि हो	100.00
21	लोहे की दुकानें, कीलें कांटों, नट बोल्ट आदि	100.00
22	शरबत, लस्सी व सोडा वाटर पेय पदार्थ फल जूस आदि की दुकान	500.00
23	इमारती लकड़ी की दुकान	200.00
24	फर्नीचर की दुकान(पेशेयर बढ़ई मुफ्त होंगे)	मुफ्त
25	ईंधन हेतु लकड़ी की दुकान	100.00
26	कोयले की दुकान	200.00
27	साईकिल विक्रेता	100.00
28	घड़ी की दुकान	100.00
29	रेडियो की दुकान	100.00
30	रेडियो कैसिट विक्रेता	200.00
31	जनरल स्टोर	मुफ्त
32	चूड़ी की दुकान	मुफ्त
33	फल सब्जी की दुकान	150.00
34	वेल्डिंग मशीन और खराद मशीन	200.00
35	टीन के बक्शे की दुकान	100.00
36	सिलाई मशीन की दुकान	मुफ्त
37	समस्त प्रकार के बीज विक्रेता	100.00
38	सीमेन्ट की जाली, पाईप की दुकान या निर्माता	1000.00
39	ह्यूम पाईप निर्माता या विक्रेता	200.00
40	रसायनिक खाद थोक	100.00
41	रसायनिक खाद की दुकान	100.00
42	कीटनाशक दवायें	200.00
43	पत्थर या पत्थर के सामानों की दुकान	200.00
44	पेन्ट, चूना की दुकान	100.00
45	क्राकरी की दुकान	मुफ्त
46	आतिशबाजी की दुकान	200.00
47	बालू, रेत, मोरंग तथा चूना आदि की दुकान	100.00
48	स्वचालित वाहनों के मरम्मत की दुकान	5000.00
49	शराब की दुकान	200.00
50	बर्तन की बड़ी दुकान	100.00
51	बर्तन की छोटी दुकान	100.00
52	इलेक्ट्रिक की दुकान	मुफ्त
53	समस्त प्रकार की वस्तुयें जो फेरी द्वारा बेची जाती है।	100.00
54(अ)	तम्बू, टेन्ट, कनात की दुकान (छोटे स्तर पर)	200.00
(ब)	तम्बू, टेन्ट, कनात की दुकान (बड़े स्तर पर)	200.00
55	डीजल व मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेता	500.00
56	सिनेमा हाल (अस्थाई)	

1	2	3
		रु०
		मुफ्त
14	पान की दुकान	150.00
15	पुस्तक व स्टेशनरी	1000.00
16	दुकान बिल्डिंग मेटेरियल, सरिया सहित	500.00
17	सीमेन्ट की दुकान	मुफ्त
18	कृषि यन्त्रों की मरम्मत दुकान	मुफ्त
19	कारीगरों के साधारण कृषि औजार की दुकान	1000.00
20	मशीनरी की दुकान जिसमें ट्रैक्टर पार्ट्स, पम्पसेट, चारा मशीन, धान मशीन, स्पेलर, हैण्डपम्प पाइप आदि हो	150.00
21	लोहे की दुकानें, कीलें कांटों, नट बोल्ट आदि	200.00
22	शरबत, लस्सी व सोडा वाटर पेय पदार्थ फल जूस आदि की दुकान	1000.00
23	इमारती लकड़ी की दुकान	500.00
24	फर्नीचर की दुकान (पेशेयर बढ़ई मुफ्त होंगे)	मुफ्त
25	ईंधन हेतु लकड़ी की दुकान	150.00
26	कोयले की दुकान	300.00
27	साईकिल विक्रेता	150.00
28	घड़ी की दुकान	200.00
29	रेडियो की दुकान	200.00
30	रेडियो कैसिट विक्रेता	300.00
31	जनरल स्टोर	मुफ्त
32	चूड़ी की दुकान	मुफ्त
33	फल सब्जी की दुकान	200.00
34	वेल्डिंग मशीन और खराद मशीन	400.00
35	टीन के बक्शे की दुकान	200.00
36	सिलाई मशीन की दुकान	मुफ्त
37	समस्त प्रकार के बीज विक्रेता	200.00
38	सीमेन्ट की जाली, पाईप की दुकान या निर्माता	2000.00
39	ह्यूम पाईप निर्माता या विक्रेता	300.00
40	रसायनिक खाद थोक	150.00
41	रसायनिक खाद की दुकान	150.00
42	कीटनाशक दवायें	300.00
43	पत्थर या पत्थर के सामानों की दुकान	250.00
44	पेन्ट, चूना की दुकान	200.00
45	क्राकरी की दुकान	मुफ्त
46	आतिशबाजी की दुकान	500.00
47	बालू, रेत, मोरंग तथा चूना आदि की दुकान	200.00
48	स्वचालित वाहनों के मरम्मत की दुकान	6000.00
49	शराब की दुकान	300.00
50	बर्तन की बड़ी दुकान	150.00
51	बर्तन की छोटी दुकान	200.00
52	इलेक्ट्रिक की दुकान	मुफ्त
53	समस्त प्रकार की वस्तुयें जो फेरी द्वारा बेची जाती है।	500.00
54(अ)	तम्बू, टेन्ट, कनात की दुकान (छोटे स्तर पर)	1000.00
(ब)	तम्बू, टेन्ट, कनात की दुकान (बड़े स्तर पर)	300.00
55	डीजल व मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेता	600.00
56	सिनेमा हाल (अस्थाई)	

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
57	कबाड़ की दुकान	200.00	57	कबाड़ की दुकान	250.00
58(अ)	अन्य कोई व्यवसाय जो उपर्युक्त के अन्दर न आते हों (छोटा व्यवसाय)	100.00	58(अ)	अन्य कोई व्यवसाय जो उपर्युक्त के अन्दर न आते हों (छोटा व्यवसाय)	200.00
(ब)	अन्य कोई व्यवसाय जो उपर्युक्त के अन्दर न आते हो (बड़ा व्यवसाय)	200.00	(ब)	अन्य कोई व्यवसाय जो उपर्युक्त के अन्दर न आते हो (बड़ा व्यवसाय)	500.00
59	कोयले की दुकान/गोदाम	5000.00	59	कोयले का गोदाम	6000.00
60	गैस की दुकान/गोदाम	5000.00	60	गैस का गोदम	6000.00

नई जोड़ी गई मदें

61	धर्म कांटा	250.00
62	(अ) एजेन्सी चार पहिया वाहन	5000.00
	(ब) एजेन्सी दो पहिया वाहन	2500.00
63	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	1000.00
64	खुशहाली/हरियाली आदि बाजार	5000.00
65	कृषि सेवा केन्द्र	500.00
66	दूध डेरी	1000.00

सं0 119/23-22(2011-12)न0पा0सहा0प्रथम--उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा 239(2) (क)-निर्माण के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक भवन, आवासीय भवन, छवि भवन, शीतगृह, नर्सिंग होम, शापिंग माल, एवं शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने संबंधी उपविधियों का प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या 1054/टैक्स/2011-12, दिनांक 06 अगस्त, 2011 द्वारा हुआ है, जिसकी पुष्टि आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा कर दी गयी है। एतदर्थ अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रकाशित किये जा रहें है। जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे :

उपविधियां

1--यह उपविधि जिला पंचायत मुरादाबाद के समस्त ग्राम्य क्षेत्र के भवनों को नियंत्रित एवं विनियमित करने संबंधी उपविधियां कहलायेगी।

2--यह उपविधि जनपद के समस्त ग्राम्य क्षेत्र तथा भविष्य में विकसित ग्राम्य क्षेत्र में निर्मित होने वाले भवनों (100 वर्गमीटर से कम के कुर्सी क्षेत्रफल के आवासीय भवनों को छोड़कर) सभी पर प्रभावी होंगे।

3--इन उपविधियों के अन्तर्गत भवन से तात्पर्य ग्राम्य क्षेत्र के आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग होटल (खानपान एवं खानपान के साथ ठहरना) नर्सिंग होम, फार्म हाउस, पैट्रोलियम, स्टेशन, एल0पी0जी0 गैस गोदाम, डेरी फार्म, शापिंग माल, मल्टी काम्पलेक्स, छवि गृह/सभा भवन, कन्वीनियन्स स्टोर, बारात घर/उत्सव भवन, शीत गृह, अतिथि गृह, व्यक्तिगत/संस्थागत शिक्षण संस्थान व औद्योगिक भवन आदि से है।

4--किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था आदि को ग्राम्य क्षेत्र में नवीन निर्माण और पुराने भवनों में परिवर्तन या परिवर्धन करने से पूर्व कम से कम तीन मास पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर अपर मुख्य अधिकारी/लाईसेंस अधिकारी को निर्माण के लिये नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन-पत्र की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित अभिलेख पत्रादि और सूचनाओं का विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा :

(क) स्थल पर प्रस्तावित निर्माण का नक्शा जिला पंचायत से लाईसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट या इंजीनियर या नक्शा नवीस द्वारा तैयार किया गया, हस्ताक्षरित नक्शा होगा। जो नक्शा 1:100 पैमाना (एम0के0एस0पद्धति) पर तैयार होगा।

(ख) स्थल की भूमि का संक्षिप्त विवरण भूमि स्वामियों के नाम सहित चारों दिशाओं का विवरण स्वामियों के नाम सहित स्थायी चिन्हित भवन, सड़क को अंकित कर साईट प्लान तैयार कर लगाना होगा।

(ग) प्रस्तावित भवन स्थल की दूरी समीपवर्ती राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग का नाम अंकित करते हुए देनी होगी।

(घ) राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग के मध्य से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम दूरी प्रस्तावित भवन स्थल की साईट प्लान में अंकित करना तथा मार्ग की माप अंकित कर नक्शा तैयार करना होगा।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 21 अप्रैल, 2012 ई० (वैशाख 1, 1934 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ--जिला पंचायत

19 मार्च, 2012 ई०

सं० 270/23-36(2011-12)न०पा०सशा०-द्वितीय--उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2)(ख) के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट-भट्ठों के संचालन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से सम्बन्धित उपविधि जो विज्ञप्ति सं० 123/23-35(91-92)एम०ए०-2, दिनांक 20 नवम्बर, 1992 द्वारा स्वीकृत होकर प्रभावी हुई है में, पुनः संशोधन किया गया है जिसकी पुष्टि आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा कर दी गयी है। एतदर्थ अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रकाशित किये जा रहे हैं। जो उ० प्र० शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे--

संशोधन

1 पूर्व स्वीकृत उपनियम सं०-08	वार्षिक रु०	संशोधित उपनियम सं०-08	वार्षिक रु०
शुल्क निम्नलिखित होगा--		शुल्क निम्नलिखित होगा--	
(अ) चिमनी, ईंट-भट्ठा	4,000.00	(अ) चिमनी, ईंट-भट्ठा	10,000.00
(ब) बिना चिमनी, ईंट-भट्ठा अनुज्ञा शुल्क-पत्र	100.00	(ब) बिना चिमनी, ईंट-भट्ठा अनुज्ञा शुल्क-पत्र	1,000.00
(स) टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00	(स) टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	1,500.00
(द) चूना या सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00	(द) चूना या सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	1,000.00
(य) चूना या सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00	(य) चूना या सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

पूर्व स्वीकृत उपनियम सं0-13

01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर रु0 300.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर ईंट-भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

संशोधित उपनियम सं0-13

01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर रु0 500.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर ईंट-भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

संयोजित उपनियम सं0-15

ईंट-भट्ठा के स्थल चयन से पूर्व वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र इसके संचालन से पूर्व प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रसारित शासनादेशों एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करने का दायित्व सम्बन्धित फर्म, संस्था एवं व्यक्ति का होगा।

दण्ड

उ0 प्र0 प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत, मुरादाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

20 मार्च, 2012 ई0

सं0 स्था0नि0स0/इक्कीस-1(06-07)-1107--उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फैजाबाद ने जनपद फैजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि पर साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन लगने वाली बाजारों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधियां बनाई हैं, जिसकी पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने की है। उपविधि धारा 242 की उपधारा (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से लागू होगी।

जिला पंचायत, फैजाबाद द्वारा फैजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि पर साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन लगने वाली बाजारों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनायी गयी उपविधि उत्तर प्रदेश शासन के गजट में विज्ञप्ति संख्या 660/इक्कीस-19(88-89)-2, दिनांक 13 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित है, जिसकी दरों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसकी पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 242(4) के अन्तर्गत की गयी है। यह संशोधन गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा--

उपविधि

1--कोई भी व्यक्ति बिना जिला पंचायत की आज्ञा के किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क अथवा मार्ग पर जिसकी सीमा जिला पंचायत निर्धारित करे, न तो कोई वस्तु बेचेगा, न बिक्री के लिये रखेगा या बाजार लगायेगा, न दुकान के लिये स्थान घेरेगा और न कोई गाड़ी या पशु बाजार में खड़ा करेगा।

2--उस गाड़ी से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, जो किसी मकान या इमारत के सामने केवल निजी सामान उतारने या लादने के लिये खड़ी हों। ऐसी गाड़ियां जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से सामान लादेंगी या उतारेंगी, से तहबाजारी शुल्क लिया जायेगा।

3--संशोधित उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

4--तहबाजारी दरों की तालिका सम्बन्धित बाजार में उपयुक्त स्थान पर जिला पंचायत अथवा ठेकेदार द्वारा लगवायी जायेगी।

5--तहबाजारी संग्रह का कार्य ठेके द्वारा कराया जायेगा। विशेष परिस्थिति में जिला पंचायत अपने कर्मचारियों के माध्यम से भी यह कार्य करा सकती है।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

1	2	3					
(ब)	रु0 2,00,000 (दो लाख) रु0 से रु0 5,00,000 (पांच लाख) रू0 तक कार्य करने वाले ठेकेदार द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार होगें और उनके लिये लाईसेंस शुल्क रु0 3,000 (तीन हजार) रु0 प्रतिवर्ष होगा।	(ब)	बी श्रेणी	2.00	25.00	25 लाख तक	रु0 8,000/ प्रतिवर्ष ✓
(स)	रु0 5,00,000 (पांच लाख) से अधिक के कार्यों के ठेके लेने वाले ठेकेदार प्रथम श्रेणी के ठेकेदार होगें ओर उनके लिये लाईसेंस शुल्क रु0 4,000 (चार हजार) प्रतिवर्ष होगा।	(स)	ए श्रेणी	2.50	50.00	सभी कार्य	रु0 10,000/ प्रतिवर्ष ✓
	उक्त नियम "अ", "ब", "स" के ठेकेदार को अपने लाईसेंस का नवीनीकरण 30 जून तक करा लेना आवश्यक होगा अन्यथा 100 रुपये प्रतिमाह विलम्ब शुल्क अदा करने पर ही लाईसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा। विलम्ब शुल्क लाईसेंस शुल्क लाईसेंस शुल्क के अतिरिक्त होगा तथा बिलम्ब की अवधि 1 जुलाई से प्रारम्भ होगी।	उक्त नियम "अ", "ब", "स" के ठेकेदार को अपने लाईसेंस का नवीनीकरण अगामी वर्ष के लिए 31 मार्च तक करा लेना आवश्यक होगा अन्यथा 1,000/ रुपये प्रतिमाह विलम्ब शुल्क अदा करने पर ही लाईसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा। विलम्ब शुल्क, लाईसेंस शुल्क के अतिरिक्त होगा तथा बिलम्ब की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगी।					
(ब)	प्रथम श्रेणी के ठेकेदार 5,00,000 (पॉच लाख) से अधिक, द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार को 5,00,000 (पॉच लाख) तक एवं तृतीय श्रेणी के ठेकेदार 2,00,000 (दो लाख) के कार्यों का ठेका उसी दशा में ले सकते हैं जबकि जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी हैसियत उक्तानुसार हो।	समाप्त					
(स)	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के ठेकेदारों को क्रमशः रु0 25000/20000/तथा 10,000 प्रतिभूत स्वरूप एन0एस0सी0 अथवा एफ0डी0आर0 जो कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुरादाबाद के प्रक्ष में बन्धक होगी, जिला पंचायत के पास जमा करना होगा जो निर्माण कार्यों के लिये निर्धारित एवं अपेक्षित जमानत की धनराशि के अतिरिक्त होगी। जमानत की यह धनराशि ठेकेदार को जिला पंचायत के कार्य न करने पर निर्माण विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के पश्चात वापस की जा सकेगी।	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के ठेकेदारों को स्थायी जमानत क्रमशः रु0 2,50,000/ 2,00,000/ तथा 1,00,000 जिला पंचायत के खाते में अपनी पंजीकृत फर्म के खाते से NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करना होगा जो निर्माण कार्यों के लिये निर्धारित एवं अपेक्षित जमानत की धनराशि के अतिरिक्त होगी। जमानत की यह धनराशि ठेकेदार को जिला पंचायत के कार्य न करने पर निर्माण विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के पश्चात वापस की जा सकेगी।					

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद

सं0 405/21-47/(2021-22)एम0ए0-II–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239(2)के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारो को पंजीकृत करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधियों के स्थान पर निम्नलिखित नवीन उपविधियॉ बनायी जाती है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था अथवा कम्पनी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय जिला पंचायत मुरादाबाद को प्रेषित कर सकते हैं। समय अवधि व्यतीत होने पर किसी आपत्ति पर विचार किया जाना संभव न होगा। नवीन उपविधियां उ0प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

उपविधियां

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>लागू उपविधियॉ</th><th>संशोधित उपविधियॉ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5(अ)</td><td>अपने निवास–स्थान एवं चरित्र से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो छः माह अधिक की अवधि का न हो।</td><td>अपने निवास–स्थान एवं चरित्र से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक मान्य होगा।</td></tr>
<tr><td>5(ब)</td><td>जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया हैसियत प्रमाण पत्र जो छः माह अधिक का न हो।</td><td>जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया हैसियत प्रमाण पत्र जो शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक मान्य होगा।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>यदि ठेकेदार अपनी दर्शायी हुई श्रेणी से अधिक की धनराशि का ठेका लेना चाहता है तो जिला पंचायत मुरादाबाद को पुनः प्रार्थना पत्र विभाग के विभागाध्यक्ष को संस्तुति सहित देगा तथा बढ़ाई हुई धनराशि की सीमा श्रेणी के अनुसार लाईसेंस शुल्क आदि जमा कर देने पर नया लाईसेंस दिया जायेगा। ऐसी दशा में पूर्व में दिया गया लाईसेंस निम्न श्रेणी स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।</td><td>समाप्त</td></tr>
<tr><td>9</td><td>जिला पंचायत मुरादाबाद द्वारा ठेकेदार को निम्न श्रेणी में श्रेणीबद्ध व पंजीकृत किया जायेगा, और उसके अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा</td><td>जिला पंचायत मुरादाबाद द्वारा ठेकेदार को निम्न श्रेणी में श्रेणीबद्ध व पंजीकृत किया जायेगा, और उसके अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
<table>
<tr><th>क्रं. सं0</th><th>श्रेणी</th><th>स्थायी जमानत (लाख रूपये में)</th><th>हैसियत लाख रू0 में (लाख रूपये में)</th><th>कार्यो की निविदा लेने हेतु पात्रता</th><th>लाइसेंस शुल्क</th></tr>
<tr><td>(अ)</td><td>सी0 श्रेणी</td><td>1.00</td><td>10.00</td><td>10लाख तक</td><td>रु0 5,000/ प्रतिवर्ष</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(अ)</td><td>रु0 10,000 (दस हजार) से रु0 2,00,000/ (दो लाख) तक कार्य करने वाले ठेकेदार तृतीय श्रेणी के ठेकेदार होंगे ओर उनके लिये लाईसेंस शुल्क रु0 2,000 (दो हजार) प्रति वर्ष होगा।</td><td></td></tr>
</table>

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत मुरादाबाद